



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249554  
CG-DL-E-18102023-249554

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 757(अ).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) से संबन्धित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 21 और उसकी प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. Q-15012/1/2022-CPW]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 October, 2023

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> April, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 21 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), shall come into force.

[F.No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

6642 GI/2023